

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 06.11.2025

क्रमांक :- सामान्य/2025/ ५७

सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 20 नियम 52, आदेश 45 नियम 1 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र नंबर 47/पी.आई. दिनांक 10.11.1970 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के हनुमानगढ़ मुख्यालय पर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के लिये निम्नांकित अभिभाषकगण को वर्ष 2026 के लिये शपथ आयुक्त नियुक्त किया जाता है :-

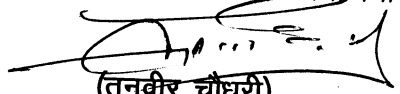
क्र. सं.	नाम अभिभाषक	एससी/एसटी/ओबीसी	वकालत शुरू करने का वर्ष व एनरोलमेंट नंबर	जन्म तिथि	गतवर्ष शपथ आयुक्त नियुक्त हुए		क्या किसी वर्ष आदेश 20 नि. 52 (3) सामान्य नियम दीवानी एवं फौज. 2018 की पालना नहीं करने का दोषी पाया गया
					दीवानी	फौजदारी	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	गगनदीप कौर	—	4392/25	01.08.02	नहीं	नहीं	—
02	श्री शुभम पारीक	—	3878/25	11.10.00	नहीं	नहीं	—
03	श्री विनोद कुमार	—	2547/25	05.07.96	नहीं	नहीं	—
04	श्री सत्यव्रत शर्मा	—	2226/25	23.08.94	नहीं	नहीं	—
05	शुभ कंवर	—	1310/25	16.09.83	नहीं	नहीं	—
06	श्री जितेन्द्र सिंह	—	1162/25	22.08.75	नहीं	नहीं	—
07	श्री सोहन लाल	—	525/25	10.02.97	नहीं	नहीं	—
08	श्री राकेश मोहन	—	16/25	31.10.68	नहीं	नहीं	—
09	श्री संदीप कुमार	—	8838/24	06.07.02	नहीं	नहीं	—
10	श्री राजेश कुमार	—	8534/24	10.10.00	नहीं	नहीं	—
11	राजेन्द्र कुमार	—	7558/24	18.09.87	नहीं	नहीं	—
12	श्री पियूष मोंगा	—	6013/24	31.05.99	नहीं	नहीं	—
13	ममता	—	5693/24	04.06.94	नहीं	नहीं	—
14	श्री पवन कुमार	—	4817/24	02.08.94	नहीं	नहीं	—
15	श्री हनुमान सिंह	—	4404/24	02.04.87	नहीं	नहीं	—
16	श्री जसप्रीत सिंह	—	3709/24	10.08.99	नहीं	नहीं	—
17	श्री सुनील कुमार टाक	—	3560/24	06.07.97	नहीं	नहीं	—
18	श्री सुरेश कुमार	—	2772/24	01.10.97	हां	हां	—
19	श्री अरशद अली	—	2596/24	01.10.94	नहीं	नहीं	—
20	श्री मनीष कुमार	—	1421/24	10.07.94	नहीं	नहीं	—
21	श्री योगराज	—	4082/23	20.12.94	नहीं	नहीं	—
22	श्री अमित कुमार	—	2955/23	20.04.96	नहीं	नहीं	—
23	श्री विक्रमादित्य शेखावत	—	941/23	07.01.57	नहीं	नहीं	—
24	परमजीत कौर	—	PH/639/23	21.09.87	नहीं	नहीं	—
25	श्री हनीश खां	—	248/23	02.08.91	नहीं	नहीं	—

समस्त शपथ आयुक्त नियमानुसार सिविल कार्य हेतु रजिस्टर नंबर 235 एवं फौजदारी कार्य हेतु रजिस्टर नंबर 270 का पोषण करेंगे व अपने खर्च पर पदीय मोहर (ऑफिशियल सील) बनवायेंगे तत्पश्चात ही अपना कार्य शुरू करेंगे। इस नियम एवं अन्य सम्बन्धित नियमों की पालना न करने पर नाम सूची से हटा दिया जावेगा तथा उक्त रजिस्ट्रारों में शपथ पत्र दर्ज किये जाकर दर्ज क्रमांक शपथ पत्र पर अंकित करते हुए त्रैमासिक रूप से निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

शपथ आयुक्त संशोधित सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) नियम 2018 के आदेश 20 नियम 52 एवं आदेश 45 नियम 2 के अंतर्गत शपथ आयुक्त निम्नानुसार शुल्क वसूल करेंगे :-

- (अ) दीवानी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र
 (ब) फौजदारी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र

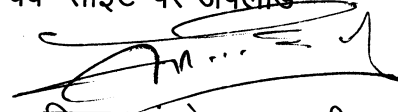
राजस्थान शासन के आदेश संख्या एफ.3(4)न्याय/77 दिनांक 06.11.1977 के अनुसार उक्त शपथ आयुक्त न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिशियल) कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने व शपथ पत्रों के प्रयोजनार्थ शपथ दिलाने व प्रतिज्ञान कराने हेतु सशक्त होंगे।


 (तनवीर चौधरी)
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 हनुमानगढ़

क्रमांक :- स्था./2025/ 3770-86 दिनांक :- 06.11.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2025/1586 दिनांक 20.09.2025 की पालना में
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हनुमानगढ़
3. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.प्रकरण) हनुमानगढ़
4. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय सं.1/सं.2, हनुमानगढ़
5. न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ सं.1/हनुमानगढ़ सं.2
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
9. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
10. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण, हनुमानगढ़
11. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़
13. रीडर-I, जिला न्यायालय, हनुमानगढ़
14. अध्यक्ष, बारसंघ, हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित अभिभाषकगण को सूचित करें।
15. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, हनुमानगढ़ को वेब-साईट पर अपलोड हेतु/नोटिस बोर्ड


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

—:: आदेश ::—

क्रमांक :- सामान्य/2025/ ५४

दिनांक :- 06.11.2025

सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 20 नियम 52, आदेश 45 नियम 1, तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र नंबर 47/पी.आई. दिनांक 10.11.1970 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के ताल्लुका मुख्यालयों पर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के लिये निम्नांकित अभिभाषकगण को वर्ष 2026 के लिये शपथ आयुक्त नियुक्त किया जाता है :-

क. सं.	नाम अभिभाषक	एससी/एसटी/ओबीसी	वकालत शुरू करने का वर्ष व एनरोलमेंट नंबर	जन्म तिथि	गतवर्ष शपथ आयुक्त नियुक्त हुए		क्या किसी वर्ष आदेश 20 नि. 52 (3) सामान्य नियम दीवानी एवं फौज. 2018 की पालना नहीं करने का दोषी पाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
संगरिया मुख्यालय							
01	श्री राजकुमार शर्मा	Gen.	5690/25	10.04.65	नहीं	नहीं	—
02	राधिका सोनी	OBC	4061/25	13.03.01	नहीं	नहीं	—
03	श्री संजय	OBC	2848/25	06.12.97	नहीं	नहीं	—
04	श्री हेतराम पूनिया	OBC	2039/25	15.06.93	नहीं	नहीं	—
05	श्री संजीव कुमार	SC	6730/24	08.06.96	नहीं	नहीं	—
06	श्री विवेकानंद गुजर	OBC	5253/24	08.04.97	नहीं	नहीं	—
07	श्री संदीप कुमार	OBC	5069/24	15.07.71	नहीं	नहीं	—
नोहर मुख्यालय							
01	श्री रमेश बेनीवाल	—	4403/25	—	नहीं	नहीं	—
02	श्री कमलेश	SC	3305/25	—	नहीं	नहीं	—
03	अनिता	SC	3218/25	—	नहीं	नहीं	—
04	श्री अक्षय कुमार	—	2719/25	—	नहीं	नहीं	—
05	श्री रामनिवास	—	5837/24	—	नहीं	नहीं	—
06	श्री नितिश मोदी	—	4967/24	—	नहीं	नहीं	—
07	श्री विकास कुमार	—	2287/24	—	नहीं	नहीं	—
08	श्री भूपेन्द्र कुमार	—	2085/24	—	नहीं	नहीं	—
09	श्री मनीष सिहाग	—	1615/24	—	हां	हां	—
10	श्री विक्रम यादव	—	90/24	—	हां	हां	—
भादरा मुख्यालय							
01	श्री अजय सहारण	—	7974/25	—	—	—	—
02	श्री प्रहलाद	—	7643/25	—	—	—	—
03	श्री अमित कुमार	—	4211/25	—	—	—	—
04	श्री अनवर खां	—	2784/25	—	—	—	—
05	श्री कमल	—	2468/25	—	—	—	—
06	श्री राजेश कुमार	—	1365/25	—	—	—	—
07	श्री कामरान खान	—	996/25	—	—	—	—
08	सुनीता	—	602/25	—	—	—	—
09	श्री विक्रम स्वामी	—	2238/24	—	—	—	—
10	श्री अनिकेत झोरड़	—	828/24	—	—	—	—
रावतसर मुख्यालय							
01	मिनाक्षी	Gen.	7065/25	06.10.97	नहीं	नहीं	—
02	श्री विनोद कुमार	OBC	3469/25	31.10.99	नहीं	नहीं	—
03	श्री सुभाष चन्द्र	OBC	811/25	15.04.00	नहीं	नहीं	—
04	श्री विष्णु	SC	722/25	02.08.99	नहीं	नहीं	—
05	श्री आरिफ	Gen.	8137/24	02.07.98	नहीं	नहीं	—

Contd.....2

पीलीबंगा मुख्यालय							
01	श्री बस्तीराम	हां	8495 / 25	05.08.95	नहीं	नहीं	—
02	श्री नरसीराम	हां	8291 / 25	25.06.84	नहीं	नहीं	—
03	श्री विक्रम छीपा	नहीं	5837 / 25	05.04.89	नहीं	नहीं	—
04	श्री दीपक जैन	नहीं	2788 / 25	21.08.97	नहीं	नहीं	—
05	श्री करन अरोड़ा	नहीं	2038 / 24	01.11.99	नहीं	नहीं	—
06	श्री गोपेन्द्र सिंह राठौड़	नहीं	1006 / 24	22.09.82	नहीं	नहीं	—
टिब्बी मुख्यालय							
01	श्री रतिराम	नहीं	560 / 05	49 वर्ष	हां	हां	—
02	श्री कुलदीप चारण	हां	4067 / 23	03.06.23	हां	हां	—
03	श्री निर्माण सिंह	नहीं	1448 / 22	28.04.22	हां	हां	—

समस्त शपथ आयुक्त नियमानुसार सिविल कार्य हेतु रजिस्टर नंबर 235 एवं फौजदारी कार्य हेतु रजिस्टर नंबर 270 का पोषण करेंगे व अपने खर्चे पर पदीय मोहर (ऑफिशियल सील) बनवायेगें तत्पश्चात ही अपना कार्य शुरू करेंगे। इस नियम एवं अन्य सम्बन्धित नियमों की पालना न करने पर नाम सूची से हटा दिया जावेगा तथा उक्त रजिस्ट्रों में शपथ पत्र दर्ज किये जाकर दर्ज क्रमांक शपथ पत्र पर अंकित करते हुए त्रैमासिक रूप से निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

शपथ आयुक्त संशोधित सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) नियम 2018 के आदेश 20 नियम 52 एवं आदेश 45 नियम 2 के अंतर्गत शपथ आयुक्त निम्नानुसार शुल्क वसूल करेंगे :-

- (अ) दीवानी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र
(ब) फौजदारी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र

राजस्थान शासन के आदेश संख्या एफ.3(4)न्याय/77 दिनांक 06.11.1977 के अनुसार उक्त शपथ आयुक्त न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिशियल) कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने व शपथ पत्रों के प्रयोजनार्थ शपथ दिलाने व प्रतिज्ञान कराने हेतु सशक्त होंगे।

(तनवीर चौधरी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

क्रमांक :- स्था./2025/ 3787 - 3805

दिनांक :- 06.11.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2025/1586 दिनांक 20.09.2025 की पालना में
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संगरिया/रावतसर/सं.1 नोहर/सं.2 नोहर/भादरा
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा
5. अध्यक्ष, बारसंघ, संगरिया/नोहर/भादरा/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित अभिभाषकगण को सूचित करें।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, हनुमानगढ़ को वेब-साईट पर अपलोड हेतु/नोटिस बोर्ड

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

—:: आदेश ::—

क्रमांक :- सामान्य/2026/ ०९

दिनांक :- 17.01.2026

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सामान्य/2025/48 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में स्थित दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के लिये वर्ष 2026 के लिये शपथ आयुक्त नियुक्त किए गए थे। सम्बन्धित मुख्यालयों के अध्यक्ष बारसंघ द्वारा निम्नलिखित अधिवक्तागण को उनके मुख्यालय पर अतिरिक्त शपथ आयुक्त नियुक्त किये जाने की सिफारिश की है, उक्त अनुशंसा के क्रम में सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 20 नियम 52, आदेश 45 नियम 1 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र नंबर 47/पी.आई. दिनांक 10.11.1970 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के हनुमानगढ़ मुख्यालय पर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के लिये निम्नांकित अभिभाषकगण को वर्ष 2026 के लिये अतिरिक्त शपथ आयुक्त नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अभिभाषक	एससी/एसटी/ओबीसी	वकालत शुरू करने का वर्ष व एनरोलमेंट नंबर	जन्म तिथि	गतवर्ष शपथ आयुक्त नियुक्त हुए		क्या किसी वर्ष आदेश 20 नि. 52 (3) सामान्य नियम दीवानी एवं फौज. 2018 की पालना नहीं करने का दोषी पाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
संगरिया मुख्यालय							
02	श्री गगन मिद्ढा	—	5962/23	18.12.93	नहीं	नहीं	—
03	श्री लक्ष्मणदास मित्तल PH	—	510/97	08.06.39	हां	हां	—
04	श्री कन्हैयालाल स्वामी PH	—	348/96	—	नहीं	नहीं	—
नोहर मुख्यालय							
02	श्री पंकज जोशी	—	2202/23	—	नहीं	नहीं	—

समस्त शपथ आयुक्त नियमानुसार सिविल कार्य हेतु रजिस्टर नंबर 235 एवं फौजदारी कार्य हेतु रजिस्टर नंबर 270 का पोषण करेंगे व अपने खर्चे पर पदीय मोहर (ऑफिशियल सील) बनवायेगे तत्पश्चात ही अपना कार्य शुरू करेंगे। इस नियम एवं अन्य सम्बन्धित नियमों की पालना न करने पर नाम सूची से हटा दिया जावेगा तथा उक्त रजिस्ट्रों में शपथ पत्र दर्ज किये जाकर दर्ज क्रमांक शपथ पत्र पर अंकित करते हुए त्रैमासिक रूप से निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

शपथ आयुक्त संशोधित सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) नियम 2018 के आदेश 20 नियम 52 एवं आदेश 45 नियम 2 के अंतर्गत शपथ आयुक्त निम्नानुसार शुल्क वसूल करेंगे :-

- (अ) दीवानी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र
(ब) फौजदारी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र

राजस्थान शासन के आदेश संख्या एफ.3(4)न्याय/77 दिनांक 06.11.1977 के अनुसार उक्त शपथ आयुक्त न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिशियल) कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने व शपथ पत्रों के प्रयोजनार्थ शपथ दिलाने व प्रतिज्ञान कराने हेतु सशक्त होंगे।

(तनवीर चौधरी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

क्रमांक :- स्था./2026/ 338

दिनांक :- 17.01.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2025/1586 दिनांक 20.09.2025 की पालना में
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगरिया/सं.1 नोहर/सं.2 नोहर
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया/नोहर
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया/नोहर
- अध्यक्ष, बारसंघ, संगरिया/नोहर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित अभिभाषकगण को सूचित करें।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, हनुमानगढ़ को वेब-साईट पर अपलोड हेतु/नोटिस बोर्ड

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़